न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)– जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 194/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कौशल किशोर गुप्ता प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री मालती देवी उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 10, नगरपालिका चौमू, जयपुर।
2. श्री चन्द्रदीप नन्दलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत ईटावा भोपजी, तहसील चौमू।
3. श्री गोपी किशन भातरा पुत्र श्री नथमल जी भातरा निवासी वार्ड नं. 12, चौमू।
4. श्री श्याम सुन्दर भातरा, निवासी वार्ड नं. 13 ब्रह्मपुरी चौमू मालिक फर्म भातरा फूड प्रोडक्टस, मोरीजा रोड, चौमू। (फौत)
5. श्री मंगल चन्द जाट, निवासी तेजाजी का फाटक, चौमू, चालक ट्रक नम्बर आरजे–14जी–5563।

4. निर्णय दिनांक : 12.04.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री आशू सिंह शेखावत अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, चौमू, जिला जयपुर श्री कौशल किशोर गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मय फर्द मौका जांच, फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, फर्द बयान तथा एफ.आई.आर. की प्रति आदि दिनांक 21.12.2009 को पेश की गई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को दिनांक 16.12.2009 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, जयपुर के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ के दुरुपयोग व कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रुबरु मौतबिरान के मैसर्स भातरा फूड प्रोडक्टस, मोरीजा रोड चौमू फ्लोर मील पर पंहुचे, जहां पर पूर्व से ही तहसीलदार चौमू मय पुलिस जाब्ते के मौजूद थी। मौके पर फ्लोर मील के परिसर में एक ट्रक नम्बर आरजे–14जी–5563 खडा पाया गया। इस ट्रक का चालक पूर्व में ही मौके से भाग गया था। इस ट्रक की जांच करने पर उसमें 41 कट्टे एपीएल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम अंकित मशीन सिलाईशुदा पाये गये। इस फर्म की जांच करने पर इसमें 99 कट्टे एपीएल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम अंकित मशीन सिलाईशुदा और रखे पाये गये। मौके पर फर्म में श्री गोपीकिशन भातरा उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को फर्म मालिक श्री श्याम सुन्दर भातरा का भाई होना बताया। श्री भातरा ने बताया कि वह चौमू का रहने वाला है तथा चौमू के वार्ड नं. 10 की उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती मालती देवी उसकी पत्नी है। साथ ही उसने बताया कि ग्राम पंचायत ईटावा भोपजी की उचित मूल्य दुकान मैसर्स चन्द्रदीप नन्दलाल को भी वही संचालित करता है। जांच करने पर यह पाया गया कि ट्रक में मौजूद गेहूँ वार्ड नं. 10 चौमू का 32.50 क्विंटल एवं ईटावा भोपजी का 40 क्विंटल कुल 72.50 क्विंटल एपीएल गेहूँ दिनांक 16–12–2009 को क्रय–विक्रय सहकारी समिति चौमू से प्राप्त कर ट्रक संख्या आरजे–14जी–5563 से राशन की दुकानों पर पहुंचना था किन्तु गोपी किशन भातरा द्वारा जानबूझकर कालाबाजारी करने की नियत से दुकानों पर पहुंचने के रास्ते से विपरीत दिशा में जाकर मोरीजा रोड स्थित भातरा फूड प्रोडक्टस पर लाकर बेचा जा रहा था तथा फर्म के मालिक श्री श्याम सुन्दर भातरा द्वारा अवैध रुप से प्राप्त किया जा रहा था। मौके पर प्राप्त बिलों की फोटोप्रतियों के आधार पर उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 10 व ग्राम पंचायत ईटावा भोपजी की जांच की गई। इन दुकानदारों द्वारा मौके पर कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इन दुकानों का भौतिक सत्यापन करने पर वार्ड नं.

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

10 की उचित मूल्य दुकान में केवल 730 लीटर केरोसीन ही पाया गया एवं मौके पर किसी भी योजना का गेहूँ नहीं पाया गया जबकि ईटावा भोपजी की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 2700 लीटर केरोसीन, प्लास्टिक के 63 कट्टे, जूट के 21 कट्टे, लूज 50 किग्रा. कुल 42.50 क्विंटल गेहूँ पाया गया जबकि केवीएसएस चौमू से 140 कट्टे जूट के ही दिये गये थे जिनको दुकानदार द्वारा निर्धारित व्यापार स्थल पर नहीं उतारकर अवैध रुप से भातरा फूड प्रोडक्टस फ्लोर मील पर बेचकर दुरुपयोग किया गया है। श्री गोपीकिशन द्वारा किये जाने वाले उक्त अवैध कार्य में श्री चन्द्रदीप नन्द लाल व श्रीमती मालती देवी भी बराबर के सहयोगी है। इस प्रकार उक्त व्यक्तियों द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः मौके पर 140 कट्टों में पाये गये इस 72.50 क्विंटल एपीएल गेहूँ मय बारदाना एवं ट्रक संख्या आरजे–14जी–5563 को कब्जेराज किया गया तथा गेहूँ मय बारदाना को सुरक्षा की दृष्टि से श्री हरिमोहन शर्मा उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 8 नगरपालिका चौमू की सुपुर्दगी में दिया गया तथा ट्रक को पुलिस थाना चौमू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 719/2009 दिनांक 16–12–2009 को दर्ज कराकर सुपुर्दगी में दिया गया। अतः जब्त शुदा 72.50 क्विंटल एपीएल गेहूँ मय बारदाना एवं ट्रक संख्या आरजे–14जी–5563 को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने एवं जब्त गेहूँ जनहित के काम आने वाली एवं शीघ्र खराब होने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गेहूँ जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए के तहत आदेश दिनांक 21.12.2009 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त गेहूँ का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें।

2. अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी 1,2,3 व 5 की ओर से अभिभाषकगणों ने 20.12.2010 व 05.04.2010 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 फौत हो गया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब पेश किया, जिसमें अंकित किया है कि अप्रार्थी मंगल चन्द जाट ट्रक का मालिक है। अप्रार्थी सं. 3 ने मिन उत्तरदाता से ट्रक को किराये ईटावा हेतु 700 रु. में तय कर किराये पर लिया था, परन्तु उसने अन्य सामान और रखने की गरज से मोरीजा रोड पर लेकर गया था। मिन उत्तरदाता ने कभी भी किसी भी ढंग से किसी सरकारी अनाज या वस्तुओं को खुर्द बुर्द करने की नियत से कार्य नहीं किया ना ही उसको ऐसे किसी कृत्य की जानकारी प्रारम्भ में रही है। मिन अप्रार्थी/उत्तरदाता को किसी भी रुप में कोई सूचना नहीं रही कि उसके ट्रक में भरा माल सरकारी या सार्वजनिक प्रणाली के वितरण का है। अप्रार्थी गरीब मजदूरी पेशा व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। जिसके पास मात्र आय का स्त्रोत ट्रक है, इसके अलावा अन्य कोई आजिविका का साधन नही है, ऐसी दशा में ट्रक है जप्त होने पर उसके परिवार का जीवन संकट में पड जायेगा। मिन उत्तरदाता ने पूर्व या बाद मे ऐसा कोई अपराध नहीं किया है ना ही उसने अपने कोई ज्ञात तथ्य को ही छुपाया है। मिन उत्तरदाता सद्भावी एवं विधि की पालना करने वाला व्यक्ति है। मिन अप्रार्थी/उत्तरदाता को ट्रक जब्त कर कब्जेराज किया जाना न्योचित नहीं है। अतः निवेदन किया है कि अप्रार्थी के विरुद्ध जारी कार्यवाही समाप्त करने के आदेश फरमावें। तत्पश्चात लम्बे समय तक सुनवाई पर रखे जाने के बाद भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण संख्या 1,2,3 व 4 की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः जवाब बन्द किया गया।

4. दिनांक 20.12.2010 व 05.04.2010 को वकालतनामा पेश होने के बावजूद दिनांक 06.11.2012 तक अप्रार्थी संख्या 1,2,3 व 4 की ओर से जवाब पेश नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगणों के पास जब्त वस्तुओं के संधारण बाबत सम्यक जवाब नहीं पारित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

5. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से बेचे जा रहे गेंहूँ के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया ना ही इस संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत किये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से गेंहूँ बेचा जाना खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमान) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का एवं आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्त गेहूँ जनहित के काम आने वाली एवं शीघ्र खराब होने वाली वस्तु होने के कारण माननीय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 04.01.2010 को अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये गये। जिसकी अनुपालना में जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण द्वारा दिनांक 27.05.2011 को जब्त माल का कुल रुपये 50,000 में निस्तारण कर दिया गया था। अतः जब्त शुदा 72.50 क्विंटल एपीएल गेहूँ मय बारदाना एवं ट्रक संख्या आरजे–14जी–5563 को राजसात (Confiscate) करने एवं 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे।

7. हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन तथा पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा जब्त गेहूँ मय बारदाना भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब व्यक्तियों को देने के लिए आवंटित किया गया था, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी फैक्ट्री में काम लिया जा रहा था और उसके लिये ट्रक संख्या आरजे–14जी–5563 को भी अवैध कारोबार में काम लिया गया था। चूंकि अप्रार्थीगणों के पास उक्त सरकारी गेंहू की उपलब्धता बाबत कोई अनुमति, आधार व दस्तावेज नहीं है और ना ही राशन की दुकानों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर ले जाने की अनुमति थी। ऐसी स्थिति में उक्त गेहूँ को अवैधानिक रुप से खुर्द–बुर्द करना पुष्ट होता है, जिसमें उक्त ट्रक संख्या आरजे–14जी–5563 भी काम लिया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या 5 ने ट्रक के स्वामित्व से संबंधित व किराये से संबंधित कोई दस्तावेज, बिल, रजिस्ट्रेशन, लाईसेन्स, बुकिंग पत्र आदि पेश नहीं किये हैं, ऐसी स्थिति में यह पुष्ट होता है कि उक्त ट्रक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का ही है और उसके माध्यम से राजकीय गेहूँ खुर्द–बुर्द किया जा रहा था। इस कार्य में ट्रक भी संलिप्त होना पाया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है और दिनांक 16.12.2009 को जब्त 72.50 क्विंटल एपीएल गेहूँ मय बारदाना एवं ट्रक संख्या आरजे–14जी–5563 को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

9. चूंकि उक्त जब्त माल का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। अतः जिला रसद अधिकारी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जावे।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

11. निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •